रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 117] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, जून 25, 1970/आषाढ 4, 1892
No. 117] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 25, 1970/ASADHA 4, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June 1970

G.S.R. 968.—The following Order made by the President is published for general information:—

THE DELIMITATION OF COUNCIL CONSTITUENCIES (UTTAR PRADESH) AMENDMENT ORDER, 1970

In exercise of the powers conferred by section 12 of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the President, after consulting the Election Commission, is pleased to make the following Order further to amend the delimitation of Council Constituencies (Uttar Pradesh) Order, 1951, namely:—

1. This Order may be called the Delimitation of Council Constituencies (Uttar Pradesh) Amendment Order, 1970.

2. In the Delimitation of Council Constituencies (Uttar Pradesh) Order, 1951, in the Table below paragraph 2, under Graduates', Teachers' and Local Authorities' Constituencies, for the existing entries against serial No. 1, the following entries shall be substituted, namely:—

"TABLE

Name of Constituency	Extent of Constituency	Number of Seats
1	2	3
	Graduates' Constituencies	
1. Garhwal-*cum*-Kumaon Graduates	Garhwal and Kumaon divisions, Moradabad, Bijnor, Saharanpur and Dehra Dun districts	1
	Teachers' Constituencies	
1. Garhwal-*cum*-Kumaon Teachers.	Garhwal and Kumaon divisions, Dehra Dun, Saharanpur and Bijnor districts . . .	1
	Local Authorities Constituencies	
1. Garhwal-*cum* Kumaon Local Authorities.	Garhwal division (excluding Garhwal district) and Kumaon division (excluding Nainital district)	1".

3. In paragraph 3 below the Table, for the figures, letters and words "1st day of April, 1965", the figures, letters and words "1st day of April, 1970" shall be substituted.

V. V. GIRI,
President.

[No. F.7(17)/70-Leg.II.]
N. D. P. NAMBOODIRIPAD, Jt. Secy.

विधि मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 1970

सा० का० नि० 968.—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन (उत्तर प्रदेश) संशोधन आदेश, 1970

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग से परामर्श के पश्चात् राष्ट्रपति ने अपने प्रसाद से परिषद् निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1951 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश किया है, अर्थात् :—

1. यह आदेश परिषद् निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन (उत्तर प्रदेश) संशोधन आदेश, 1970 कहा जा सकेगा।

2. परिषद् निर्वाचन क्षेत्र परिसीमान (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1951 में पैरा 2 के नीचे की सारणी में स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र में, क्रमांक 1 के सामने की वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात:—

"सारणी

निर्वाचन-क्षेत्र का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र का विस्तार	स्थानों की संख्या
1	2	3
	स्नातक निर्वाचन-क्षेत्र	
1. गढ़वाल एवं कुमाऊं, स्नातक	गढ़वाल और कुमाऊं खण्ड, मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर तथा देहरादून जिले	1
	शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र	
1. गढ़वाल एवं कुमाऊं, शिक्षक	गढ़वाल और कुमाऊं खण्ड, देहरादून, सहारनपुर और बिजनौर जिले	1
	स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र	
1. गढ़वाल एवं कुमाऊं स्थानीय प्राधिकारी	(गढ़वाल जिला को छोड़कर) गढ़वाल खण्ड और (नैनीताल जिला को छोड़कर) कुमाऊं खण्ड	1

3. पैरा 3 के नीचे की सारणी में "1 अप्रैल, 1965" अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर "1 अप्रैल, 1970" अंक, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंगे।

वी० वी० गिरि,
राष्ट्रपति।

[सं० फा० 7 (17)/70-वि० II]
एन० डी० पी० नाम्बूदिरीपाद, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI. 1970